मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1994 (चैत्र 1, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) **श्री महेश प्रसाद शुक्ला,** सदस्य, सिवनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनेक कर्मचारियों को अकारण सेवा से पृथक् किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री रविन्द्र चौबे,** सदस्य, दुर्ग में एक भूखण्ड के विक्रय में लाखों रूपयों के स्टाम्प शुल्क की अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **सर्वश्री आलम सिंह पटेल, देवलाल दुग्गा,** सदस्य, बस्तर में हर्रा खरीदी न होने से वनवासियों में फैल रहे असंतोष की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, बनवारीलाल, रामेश्वर अखण्ड,** सदस्य, सीहोर जिले के श्यामपुर कस्बे में लूट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) **श्री सुकीर्ति जैन,** सदस्य, जबलपुर जिले के कटनी नगर में पर्यावरण हेतु सुरक्षित पहाड़ी में चीप पत्थर की खदान नीलाम करने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) **श्री शिवप्रताप सिंह,** सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक ग्रामों में कोयला प्रबंधकों द्वारा कृषकों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) **सर्वश्री बनवारीलाल, गौरीशंकर बिसेन, गोपीकृष्ण नेमा,** सदस्य, अंबिकापुर के निकट ग्राम मतरिंगा में दूषित पेयजल से अनेक लोगों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) **श्री रमाशंकर भारद्वाज, श्री जयंत मलैया, डॉ. गोविन्द सिंह,** सदस्य, मुरैना जिले के श्योपुरकलां में डकैतों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) **डॉ. रमन सिंह,** सदस्य, खेली डायवर्सन योजना से राजनांदगांव जिले के अनेक ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) **सर्वश्री पूरनमल शर्मा, किशोरीलाल वर्मा,** सदस्य, खण्डवा के पदमनगर मोहल्ले में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

3. वर्ष 1993–94 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

3 बजे तक

" दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 67, 68, 69, तथा 70 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ तिरेसठ करोड़, तीस लाख, बासठ हजार रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री अजय मुशरान,** वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक–2) विधेयक, 1994 (क्रमांक 8 सन् 1994) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) **श्री रामजी महाजन**, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 9 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) **श्री अजय मुशरान**, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक 10 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) **श्री बी.आर. यादव**, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 11 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा (शेष 40. मि.) मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन वितरण व्यवस्था के संचालन में सुधार करने के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.